न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

मु0न0:– 55 / 18

तारीख रजू:– 10.05.2018

पीठासीन अधिकारी:– दुर्गा प्रसाद मीना आर.ए.एस

उनवान

1. शिवसिंह पुत्र बद्री
2. गुल्लो पत्नि बद्री

समस्त जाति नट निवासी सिंधनिया तहसील टोडाभीम।

(वादीगण)

बनाम

1. अमरसिंह दत्तक पुत्र सुखलाल जाति नट निवासी हाल मोहनपुरा तहसील टोडाभीम।
2. उप तहसीलदार बालघाट।
3. पटवारी हल्का सिंधनिया उप तहसील बालघाट।
4. प्रेमवती देवी पुत्री बद्री पत्नि तेजसिंह।
5. कम्मो देवी पुत्री बद्री पतिन धर्मसिंह।
   हाल निवासी खारवालबास तहसील नादौती।
6. कमलेश पुत्री बद्री पत्नि पप्पूलाल नट निवासी सिधनिया हाल निवासी लासाडीया गुजरान तहसील बस्सी जिला जयपुर।

(प्रतिवादीगण)

दावा बावत घोषणा खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 88, 188 राज0 टि0 एक्ट

उपस्थिति:– श्री रामभरोसी गुप्ता एडवोकेट (वादी)

निर्णय दिनांक:– 13.12.2019

वादी की ओर से प्रस्तुत वादपत्र मे संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि भूमि ख0न0 634 / 0.29, 635 / 0.29, 636 / 0.43, 660 / 0.21, 714 / 0.28, 727 / 0.26, कुल किता 6 कुल रकवा 1.76 है0 स्थित ग्राम सिधनिया वादीगण की खातेदारी व कब्जे की भूमि है। इस भूमि का प्रतिवादी न0 1 का कोई संबध नही है। वर्णित आराजीयात की मौजूदा मे खातेदारी वादी के पिता व पति बद्री पुत्र भौरया जाति नट के नाम दर्ज है बद्री का देहान्त हो चुका है उसके एक मात्र कानूनी वारिस वादीगण ही है। प्रतिवादी अमरसिंह सुखलाल के यहॉं करीब 45 वर्ष पूर्व गोद चला गया है तथा सुखलाल का दत्तक पुत्र है। प्रतिवादी अमरसिंह के भारत निर्वाचन आयोग के पहचान पत्र, आधार कार्ड, निर्वाचन का प्रमाण पत्र, बैक पासबुक, भामाशाह कार्ड, परिवार राशन कार्ड आदि मे अमरसिह पुत्र सुखलाल दर्ज है। तथा प्रतिवादी अमरसिह ने वादी के हक मे एक प्रतिज्ञा पत्र व शपथ पत्र दिनांक 16.4.2018 को 500 /– व 50 /– के स्टाम्प पर तहरीर व तकमील किया है। जिसमे अमरसिंह ने स्वंय माना है कि मैं सुखलाल के यहा गोद चला गया हूॅं तथा मेरे पिता बद्री की चल व अचल सम्पत्ति से मेरा कोई संबध किसी प्रकार का नही है लेकिन प्रतिवादी अमरसिंह रेवन्यू कर्मचारी व अधिकारी से साज करके अपने नाम विरासत का नामांतकरण खुलावा रहा है जिसका उसे कोई अधिकार किसी प्रकार का नही है। वादीगण कल दिनांक 9.5.18 को पटवारी हल्का के पास गये तब उन्होने कहा कि हम तो अमरसिंह का नाम भी नामांतकरण मे शामिल करेगे तथा अमरसिंह ने भी धमकी दी है कि मे मेरे नामांतकरण को खुलवाकर रहूगा। इसलिये यह दावा पेश करना आवश्यक हुआ है।

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner

यह कि दावा वादीगण खिलाफ प्रतिवादी अमरसिंह बावत घोषणा खातेदारी डिक्री किया जाकर भूमि ख0न0 634/0.29, 635/0.29, 636/0.43, 660/0.21, 714/0.28, 727/0.26, कुल किता 6 कुल रकवा 1.76 है0 स्थित ग्राम सिधनिया तहसील टोडाभीम का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। तथा दावा वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण बावत स्थाई निषेधाज्ञा डिक्री किया जाकर प्रतिवादी अमरसिंह को पाबन्द किया जावे की उक्त आराजी मे रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। तथा खातेदारी तब्दील नही करे नाही नामांतकरण की कार्यवाही करे।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण बावजूद सूचना उपस्थित नही हुये, इसलिये उनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही की गई। वादी की ओर से वादपत्र के साथ ग्राम सिंधनिया जमाबन्दी सम्वत 2070–73 के खाता संख्या 63 की नकल अमरसिंह पुत्र सुखपाल के नाम के पहचान पत्र आधार कार्ड, ग्राम पंचायत घवान मे सरपंच मे पद पर निर्चाचन का प्रमाण पत्र, जिला परिषद के सदस्य के रूप मे पहचान पत्र , बैक ऑफ बडौदा की पासबुक की छायाप्रति, भामाशाह कार्ड की पर्ची, राशनकार्ड ग्राम मोहनपुरा, अमरसिंह द्वारा शिवसिंह के नाम प्रतिज्ञापत्र एवं शपथ पत्रो की प्रतिया सलग्न की है। स्वंय वादी एवं गवाह अमरसिह पुत्र धर्मेराम जाति मीना के शपथ पत्र प्रस्तुत किये। वादीगण एवं प्रतिवादी न0 4 प्रेमवती देवी प्रतिवादी न0 5 कम्मो देवी, प्रतिवादी न0 6 कमलेश ने राजीनामा प्रस्तुत किया। जो तस्दीक कर शामिल पत्रावली किया गया। वादी की ओर से तेजसिंह पुत्र मंगलसिंह जाति बंजारा निवासी गुढाचन्द्रजी एवं विशम्भर पुत्र मुकन्या राम मीना निवासी सिधनिया के शपथ पत्र तथा अमरसिह बहक शिवसिंह के मूल प्रतिज्ञापत्र एवं शपथ पत्र पेश किये।

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। वादपत्र एवं दस्तावेजी साक्ष्यो के अनुसार एवं राजीनामे के अनुसार दावा फाईनल डिक्री करने का कथन किया। वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया पत्रावली मे शामिल दस्तावेजो, राजीनामा एवं प्रतिवादी अमरसिंह की ओर से तैयार कराये गये प्रतिज्ञापत्र एवं शपथ पत्रो का अवलोकन किया गया। ग्राम सिधनिया की जमाबन्दी सम्वत 2070–73 के खाता संख्या 63 मे वर्णित आराजीयात ख0न0 634/0.29, 635/0.29, 636/0.43, 660/0.21, 714/0.28, 727/0.26 कुल किता 6 कुल रकवा 1.76 है0 की खातेदारी बदरी पुत्र भौरया जाति नट निवासी ग्राम खातेदार राहिन कैनरा बैक शाखा हिण्डौन सिंटी के नाम दर्ज है। वादीगण एवं प्रतिवादी न0 4, 5, 6 की और से राजीनामा प्रस्तुत किया है कि प्रतिवादी अमरसिह दूसरी जगह गौद चला गया है अब इस आराजीयात से उसका कोई संबध नही है। वादी का दावा डिक्री कर दिया जावे। प्रतिवादी अमरसिह पुत्र बदरी दत्तक पुत्र सुखलाल जाति नट निवासी नट मोहल्ला मोहनपुरा तहसील टोडाभीम ने श्री शिवसिंह पुत्र बदरी जाति नट निवासी सिधनिया के नाम एक प्रतिज्ञापत्र दिनांक 16.4.2018 को नोटेरी पब्लिक से तस्दीक कराया है कि मै मेरे ताउ सुखलाल के यहा ग्राम मोहनपुरा मे गोद चला गया हूँ सुखलाल की सम्पूर्ण चल व अचल सम्पत्ति मुझको प्राप्त हो गयी है गोद चले जाने के दिन से बदरी पुत्र भौरया नट निवासी सिधनिया की सम्पत्ति से मेरा एव मेरे वारिसान का कोई संबध शेष नही रहा है तथा ग्राम सिधनिया की आराजी ख0न0 634/0.29, 635/0.29, 636/0.43, 660/0.21, 714/0.28, 727/0.26 कुल किता 6 कुल रकवा 1.76 है0 की खातेदारी राजस्व रिकार्ड मे अपने नाम दर्ज कराने का अधिकारी है। इसी आशय का शपथ पत्र अमरसिंह पुत्र बदरी दत्तक पुत्र सुखलाल जाति नट निवासी मोहनपुरा तहसील टोडाभीम ने दिनांक 16.4.18 को नोटेरी पब्लिक से तस्दीक कराया है। प्रतिज्ञापत्र एवं शपथ पत्रो के गवाहान तेजसिंह पुत्र मंगल सिंह जाति बंजारा निवासी गुढाचन्द्रजी तहसील नादौती व विशम्भर पुत्र मुकन्याराम मीना निवासी सिधनिया तहसील टोडाभीम ने शपथ पत्र प्रस्तुत कर इस बात की ताईद की है कि उक्त प्रतिज्ञापत्र एवं शपथ पत्र स्वंय अमरसिंह ने तस्दीक कराये

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner

है। तथा अमरसिंह अपने ताउ सुखराम के यहाँ ग्राम मोहनपुरा मे गोद चला गया है। पत्रावली मे सलग्न भारतनिर्वाचन आयोग के पहचान पत्र संख्या आर.जे.11/088/357090, आधार कार्ड संख्या 7507 7479 5331, भामाशाह रसीद कमांक 9999–4071–00423 ग्राम मोहनपुरा के राशनकार्ड संख्या 200004142394 मे अमरसिह पुत्र सुखलाल निवासी मोहनपुरा तहसील टोडाभीम दर्ज है इनकी पत्नि तीजो के पहचान पत्र संख्या आर.जे. 11/088/357062 मे ग्राम मोहनपुरा दर्ज है। ग्राम पंचायत घवान के सरपंच पद के निर्वाचन प्रमाण पत्र 4.2.2010 मे अमरसिंह पुत्र सुखलाल नट अंकित है। उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि अमरसिंह अपने ताउ सुखलाल के यहाँ ग्राम मोहनपुरा मे गोद चला गया। गोद गया व्यक्ति एक ही स्थान की चल अचल सम्पत्ति अर्जित करने का हकदार होता है। स्वंय अमरसिह ने ग्राम मोहनपुरा की चल–अचल सम्पत्ति प्राप्त करना प्रतिज्ञापत्र एवं शपथ पत्रो मे स्वीकार किया है। अतः ग्राम सिधनिया की आराजीयात मे वादीगण एवं प्रतिवादी न0 4,5,6, को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना उचित पाता हूँ।

अतः ग्राम सिधनिया तहसील टोडाभीम की आराजीयात ख0न0 634/0.29, 635/0.29, 636/0.43, 660/0.21, 714/0.28, 727/0.26 कुल किता 6 कुल रकवा 1.76 है0 मे वादी शिवसिंह पुत्र बद्री, गुल्लो पत्नि बद्री, प्रेमवती देवी पुत्री बद्री, कम्मो देवी पुत्री बद्री कमलेश पुत्री बद्री को हिस्सा बराबर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। बैक रहन इन्द्राजात बदस्तूर रहेगा। पर्चा डिकी जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 13.12.2019 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

13/12/19

(दुर्गा प्रसाद मीना)
उप जिला कलेक्टर
टोडाभीम जिला करौली

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Durga Prasad Meena
Date: 2020.01.02 12:51:10 IST
Reason: SelfAttested
Location: